न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशु राम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या–79/2019 (GCMS No. 2019/00082) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. लडडूलाल
2. मन्नू
3. बृज मोहन
4. राम
5. लक्ष्मण

पुत्रान रामकुवार जाति माली निवासी नीम चौकी शहर सवाई माधोपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये भू प्रबंध अधिकारी, सवाई माधोपुर।
2. मूर्ति मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज भैरू दरवाजे के पास शहर जिला सवाई माधोपुर जरिये व्यवस्थापक चक्रधर पुत्र जटा शंकर जाति ब्राहम्ण निवासी शहर सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडैन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.06.1997 नामांतरकरण संख्या 52 भूप्रबंध अधिकारी सवाई माधोपुर व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर अपील सं. 12/2007 लडडूलाल वगैराह बनाम सरकार दिनांक 09.06.2015

उपस्थिति:–

1. श्री रमेश चन्द गोयल, वकील अपीलान्ट
2. श्री विष्णु सोमानी, वकील रेस्पोडैन्ट सं. 2

नि र्ण य

दिनांक : 14.09.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी सवाई माधोपुर के नामांतरकरण आदेश दिनांक 26.06.1997 एवं जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 09.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी ख.नं. 881 रकवा 13 विस्वा, ख.नं. 882 रकवा 13 विस्वा, ख.नं. 883 रकवा 14 विस्वा, ख.नं. 884 रकवा 7 बीघा 7 विस्वा, ख. नं. 886 रकवा 2 बीघा 17 विस्वा, ख. नं. 887 रकवा 1 बीघा, ख. नं. 888 रकवा 3 विस्वा, ख. नं. 889 रकवा 2 विस्वा, ख. नं. 890 रकवा 9 विस्वा, ख. नं. 891 रकवा 10 विस्वा, ख. नं. 892 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा, ख. नं. 893/930 रकवा 1 विस्वा कुल किता 13 कुल रकवा 16 बीघा 11 विस्वा जो अपीलार्थीगण की कदीमी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। उक्त जमीन को कदीमी से अपीलार्थीगण के बुजुर्ग काश्त करते

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

रहे थे। उनके फौत होने के उपरान्त अपीलार्थीगण लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात रामकुवार के खातेदारी में दर्ज थी। उत्तराधिकार के आधार पर जरिये नामांतरकरण संख्या 290 अपीलार्थीगण के नाम दर्ज हुई। रेस्पो. नं. 1 ने बिना अधिकार तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलार्थीगण का नाम हटाकर रेस्पो. सं. 2 के नाम नामांतरकरण संख्या 52 कर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 09.06.2015 को अपील खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. नं. 2 की ओर से पैरवी हेतु श्री विष्णु सोमानी एडवोकेट एवं श्री श्याम मोहन शर्मा एडवोकेट ने हाजिर अदालत आकर वकालतनामा पेश किया। रेस्पो. नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त अपील सर्व प्रथम दिनांक 12.05.2000 को भू प्रबंध अधिकारी टोंक को की गई। सेटलमेंट आपरेशन क्लोज हो जाने के कारण क्षेत्राधिकार समाप्त होने से जिला कलक्टर को मुन्तकिल की गई जो दिनांक 07.11.2005 को मियाद बाहर मानते हुये खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध भू प्रबंध आयुक्त जयपुर को अपील प्रस्तुत की जिसमें अपील को अन्दर मियाद मानते हुये गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के लिए मातहत अदालत को रिमाण्ड की गई। अदालत मातहत ने रिकार्ड, कब्जे एवं तथ्यों को देखे बिना आदेश पारित किया है। नामांतरकरण भरते समय खातेदारान को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। आराजी ख.नं. 881 रकवा 13 विस्वा, ख.नं. 882 रकवा 13 विस्वा, ख.नं. 883 रकवा 14 विस्वा, ख.नं. 884 रकवा 7 बीघा 7 विस्वा, ख. नं. 886 रकवा 2 बीघा 17 विस्वा, ख. नं. 887 रकवा 1 बीघा, ख. नं. 888 रकवा 3 विस्वा, ख. नं. 889 रकवा 2 विस्वा, ख. नं. 890 रकवा 9 विस्वा, ख. नं. 891 रकवा 10 विस्वा, ख. नं. 892 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा, ख. नं. 893/930 रकवा 1 विस्वा कुल किता 13 कुल रकवा 16 बीघा 11 विस्वा जो अपीलार्थीगण की कदीमी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। उक्त आराजीयत में से ख. सं. 884 रकवा 7 बीघा 7 विस्वा व ख. सं. 886 रकवा 2 बीघा 17 विस्वा में से 18 विस्वा जमीन बाबूलाल पुत्र फूलचन्द महाजन को बेच दिया, जिसका नामांतरकरण उसके नाम खुल कर खातेदारी में अंकन हो चुका है। बाकी सम्पूर्ण जमीन पर अपीलार्थीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त जमीन को कदीमी से अपीलार्थीगण के बुजुर्ग काश्त करते रहे थे। उनके फौत होने के उपरान्त अपीलार्थीगण लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात रामकुवार के खातेदारी में दर्ज थी उत्तराधिकार के आधार पर जरिये नामांतरकरण संख्या 290 अपीलार्थीगण के नाम दर्ज हुई। रेस्पो. नं. 1 ने बिना अधिकार तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलार्थीगण का नाम हटाकर रेस्पो. सं. 2 के नाम नामांतकरण संख्या 52 कर दिया गया। रेस्पो. सं. 1 को जैर अपील नामांतरकरण खोलने का अधिकार नहीं था। संवत् 2009 से 2023 की जमाबन्दी, खतौनी बंदोवस्त में उक्त आराजीयात

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलार्थीगण के पिता के नाम थी उससे पूर्व अपीलार्थीगण के बाबा के नाम दर्ज थी। उक्त विवादित आराजीयात सर्व प्रथम अपीलार्थीगण के पूर्वज सरिया की खातेदारी में रही। सरिया के मरने के बाद अपीलार्थीगण के पिता रामकुवार की खातेदारी में लगी। मन्दिर मूर्ति के नाम कोई भी रिकार्ड नहीं था। जागीर रिजमशन एक्ट 1952 के पूर्व व सेटलमेंट के पूर्व भी अपीलार्थीगण के पूर्वजों के नाम पर्चा जारी हुआ है। रा.टी.एक्ट 1955 के बाद भी खातेदारी अपीलान्ट के नाम बनी रही। इस प्रकार जागीर रिजैक्शन के पूर्व से चली आ रही खातेदारी को सरसरी तौर पर निरस्त नहीं किया जा सकता तथा किसी प्रकार से खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। दावा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में चल रहा है जिसकी अपील राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्थगन भी दे रखा है। नियमित वाद के दौरान नामांतरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरकरण को यथावत रखने का फैसला दिया जबकि यथावत स्थिति नामांतरकरण से पूर्व की रहनी चाहिए। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ हर दो न्यायालय निरस्त किये जावें।

4. विद्वान वकील रेस्पो. सं. 2 द्वारा कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में दावा कर रखा था जिसका मंदिर मूर्ति के पक्ष में निर्णय हो गया। उक्त की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में वर्तमान में विचाराधीन है। नियमित वाद में ही अधिकार तय होगें। साथ ही कथन किया कि न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर में अपीलान्टस स्वयं ने सहमति से मामला माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में वाद के लंवित होने से इस समरी ट्रायल को वाद के निर्णय होने के मध्यनजर रखते हुए नामान्तरकरण संख्या 52 को तब तक यथावत रखने का निवेदन किया था। जिस पर उभयपक्ष की सहमति के आधार पर माननीय न्यायालय ने नामान्तरकरण को यथावत रखते हुए अपील फैसल की थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है। अव इस स्तर पर अपील के चलने को कोई औचित्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि है कि सहायक भू–प्रवंध एवं सहायक भू–अभिलेख अधिकारी सवाईमाधोपुर ने दिनांक 26.06.1997 को नामांतरकरण संख्या 52 को स्वीकार कर फैसल किया था जिसमें विवादित आराजी "बाबूलाल पुत्र फूलचंद गुप्ता सा0 देह" एवं "लडडूलाल, मन्नू, ब्रजमोहन रामलक्ष्मण पि0 रामकुमार जाति माली सा0 देह हि. ब." से "मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी वांके देह विराजमान" के नाम अंतरित हुई थी। इस नामांतरकरण के आधार पर जमावंदी सवंत 2042–2045 मे विवादित भूमि किता 13 रकवा 16–11 बीघा "मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी वांके देह विराजमान" दर्ज पायी जाती है। खतौनी बंदोबस्त संवत 2004 में खातेदार के कालम में "मंदिर श्री गोपाल जी वाके देह व अहतमाम पुजारी घोंसी राम वल्द कल्याण बक्ष कौम माली साकिन देह उपकृषक" दर्ज पाया जाता है। नकल

अति. सभागीय आयुक्त
भरतपुर

खतौनी बंदोबस्त संवत 2009–2023 में कॉलम नम्बर 3 नाम थोक व पट्टी मय पटेलाम के कॉलम में घासीराम मजकूर एवं उपभोक्ता के कॉलम नम्बर 4 में रामकवार वल्द श्रीया कौम माली सा0 देह दर्ज पाया जाता है। नामांतरकरण संख्या 290 दिनांक 28.11.1983 में विवादित भूमि 16–11 बीघा का म्यूटेशन रामकुंवार पुत्र श्रीया माली सा0 देह के फौत होने पर उसके पुत्रान लडडूलाल मन्नु बृजमोहन, रामलाल, लक्ष्मण के नाम स्वीकार होना पाया जाता है। जमाबंदी संवत 2013–16 में कृषक के कॉलम में उपकृषक रामकुंवार पुत्र श्रीया माली सा0 देह'' दर्ज पाया जाता है। जमाबंदी संवत 2029–2032 मे ''रामकंवार पुत्र श्रीया माली सा0 देह'' दर्ज पाया जाता है। जमाबंदी संवत 2037–2040 में नामांतरकरण 290 के आधार पर रामकंवार की विरासत उसके पुत्रान के नाम दर्ज पायी जाती है। जमाबंदी संवत 2025–28, 2028–32, 2033–36 में कृषक के कॉलम में रामकंवार पुत्र श्रीया माली सा0 देह दर्ज पाया जाता है। जमाबंदी (खेवट खतौनी) संवत 2013–2016 में भूमि अधिकारी के कॉलम नम्बर 3 में पुजारी घासीराम मजकूर एवं कृषक के कॉलम नम्बर 4 में ''रामकंवार मजकूर'' दर्ज पाया जाता है। इसी प्रकार संवत 2013–16 की जमाबंदी में ''रामकंवार वल्द श्रीया कौम माली सा0 उपकृषक'' दर्ज पाया जाता है। संवत 2060 की जमाबंदी में विवादित भूमि पर ''मंदिर मूर्ति श्री गोपालजी वाले देह विराजमान खातेदार'' दर्ज पाया जाता है। इस प्रकार रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि संवत 2012 के पूर्व मंदिर के नाम थी और अपीलान्ट्स संवत् 2012 के बाद भी बतौर उपकृषक ही दर्ज पाये जाते है जिससे शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति की भूमि पर खातेदारी दिया जाना विधिविरूद्ध है। उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 08.01.2013 बउनवान मंदिर मूति श्री गोपाल जी महाराज बनाम लडडूलाल आदि में अपने विवेचन में स्पष्ट किया है कि "दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त आराजी मंदिर मूर्ति श्री गोपालजी महाराज के नाम दर्ज हो रही है। मूर्ति मंदिर श्री गोपाल जी नाबालिग है तथा मंदिर की जमीन किसी अन्य के नाम खातेदारी नही लग सकती है। यदि खातेदारी अन्य व्यक्तियो के नाम लग भी गई हो तो वह खातेदारी वापस मंदिर के नाम लगाने के राजस्थान सरकार के निर्देश है। उक्त प्रकरण में भी पूर्व में खातेदारी मंदिर मूर्ति गोपाल जी के नाम दर्ज थी। जो बाद में प्रतिवादीगण के पिता रामकुंवार के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई। जिसे वापस मंदिर मूर्ति श्री गोपालजी के नाम खातेदारी में दर्ज की गई।" साथ ही उपजिला कलक्टर द्वारा प्रतिवादीगण (अपीलांटस) का काउंटर कलेम भी खारिज किया था। इस संबंध मे अपील में अपीलाण्टस ने अपील की मद संख्या 11 मे अंकित किया है कि उपजिला कलक्टर महोदय एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जी ने जागीर एक्ट का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है जो राजस्व मण्डल अजमेर में स्थगन दिया हुआ है। न्यायालय जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

के निर्णय दिनांक 09.06.2015 में विवेचन मे अंकित पाया जाता है कि अपीलाण्टस ने निवेदन किया कि वाद माननीय राजस्व मण्डल में वर्तमान में पेंडिग चल रहा है। कथन के समर्थन में यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि यह स्थापित सिद्वांत है कि जब किसी विवादित संपति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय मे वाद चल रहा है तो उस स्थिति में समरी ट्रायल के अंतर्गत आने वाली नामांतरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षो की सहमति से नामांतरकरण संख्या 52 को यथावत रखते हुए अपील को फैसल किया। इस प्रकार पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन के बाद पाते है कि अपीलाण्टस ने नामांतरकरण संख्या 52 के संबंध मे जो अपील न्यायालय श्रीमान भू–प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर के यहां की थी वह न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर को रिमाण्ड की थी और उसके बाबत उन्होने दर्ज फैसल नामांतरकरण संख्या 52 को अपने निर्णय दिनांक 09.06.2015 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में वाद की कार्यवाही चल रही होने के कारण उभयपक्ष की सहमति से यथावत रखने का निर्णय पारित कर अपील को फैसल शुमार किया है। इस प्रकार अब ऐसी स्थिति में जबकि पक्षकारो के अधिकारो का समाधान माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में लंबित वाद के जरिये ही होना है तो फिर इस स्तर पर इस अपील के चलने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलाण्टस की अपील इस स्तर से खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपीलाण्टस की अपील खारिज की जाती है तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में लंबित वाद की अपील का निर्णय होने तक नामांतरकरण संख्या 52 की स्थिति को यथावत रखा जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 14.09.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर